भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3014

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन

3014. श्री संजय दीना पाटिल:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने देश में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए सक्षम आंगनवाड़ी मिशन और पोषण 2.0 के अंतर्गत कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में संचालित किए जा रहे सक्षम आंगनवाड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या योजना बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में सक्षम आंगनवाड़ी की सफलता के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) के लिए प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्र की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों से बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें भारत नेट (जहां भी संभव हो) के माध्यम से इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन लगाना, पोषण वाटिका, ईसीसीई पुस्तकें और शिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं। देश भर में कुल 92108 आंगनवाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें महाराष्ट्र के 1739 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं, जिनके लिए वित्त वर्ष 2023-24 तक 8.73 करोड़ रुपये की निधि आवंटित और जारी की गई है।

(घ) वर्ष 1992-93 से आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न दौरों ने महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वेक्षण	**अल्प वजन %**	**दुर्बलता %**	**बौनापन %**
एनएफएचएस -1 (1992-93)*	53.4	17.5	52

एनएफएचएस -2 (1998-99)**	47	15.5	45.5
एनएफएचएस -3 (2005-6)***	42.5	19.8	48.0
एनएफएचएस -4 (2015-16)***	35.8	21.0	38.4
एनएफएचएस -5 (2019-21)***	32.1	19.3	35.5

* 4 वर्ष से कम

** 3 वर्ष से कम

*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका उस समय 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण के संकेतकों की एक प्रतिनिधि तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह तालिका दर्शाती है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान बच्चों में कुपोषण का स्तर सामान्य तौर पर कम होता जा रहा है।

वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र सहित भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) है। तथापि पोषण ट्रैकर के जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष तक के केवल 7.65 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से महाराष्ट्र सहित 7.37 करोड़ बच्चों की वृद्धि मापदंडों पर मापी गई। इनमें से महाराष्ट्र राज्य में 44.6% बच्चे बौने पाए गए, 16.7% बच्चे अल्प वजन के पाए गए और 4.8% बच्चे दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र सहित भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार 8.91 करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं, जिनमें से महाराष्ट्र सहित 8.57 करोड़ बच्चों का विकास मापदंडों पर मापन किया गया। महाराष्ट्र राज्य में इनमें से 42.5% बच्चे (0-6 वर्ष) बौने पाए गए हैं और 17.8% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

(ड़) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जारी और उपयोग की गई निधि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(च) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू होकर, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों की भवनों का निर्माण किया जाना है। मनरेगा के साथ तालमेल बिठाकर आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र है जिसमें से 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र के लिए निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे।

शौचालय निर्माण के लिए अनुमोदित प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र लागत 36000 रूपये है तथा पेयजल की व्यवस्था के लिए अनुमोदित प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र लागत 17000 रूपये है जिसे केन्द्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार वहन किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार ने सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के आदेश जारी किए हैं। इससे देश भर में इन आंगनवाड़ी केंद्रों में एक आंगनवाड़ी सहायिका जुड़ जाएगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का बोझ साझा करेगी ताकि ईसीसीई के घटक को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को पास के प्राथमिक विद्यालयों, जहाँ पर्याप्त जगह उपलब्ध हो, में स्थापित करें।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर आंगनवाड़ी प्रणाली का ध्यान केंद्रित करने और आंगनवाड़ी केंद्र को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रचनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, खेल उपकरण और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कायर्कर्त्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षण केंद्र में बदलने के लिए पोषण भी पढाई भी पहल 10 मई 2023 को शुरू की गई थी।

अनुलग्नक ।

"आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन" के संबंध में श्री संजय दीना पाटिल, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील, श्री निलेश ज्ञानदेव लंके, श्री अमर शरदराव काले, श्री भास्कर मुरलीधर भगरे, श्री बजरंग मनोहर सोनवणे और श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा पूछे गए दिनाकं 09.08.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 के भाग (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत राज्यवार तथा वर्षवार जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मिशन पोषण 2.0					
		2021-22		2022-23		2023-24*	2024-25**
		जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	उपयोग की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1971.15	1336.46	384.98	384.98	1215.15	206.25
2	आंध्र प्रदेश	74460.38	74990.85	82778.78	72144.95	70568.20	0
3	अरुणाचल प्रदेश	17082.84	23076.54	13778.25	14574.30	16206.09	293.19
4	असम	131989.88	143219.22	165162.57	171700.43	223331.30	0
5	बिहार	157443.07	160801.50	174009.24	158660.63	185928.90	31130.1
6	चंडीगढ़	1532.18	2308.52	3309.90	3432.56	1979.45	436.19
7	छत्तीसगढ़	60673.15	52272.36	66896.43	57180.10	57945.59	14826.2
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	933.39	955.91	579.95	579.95	1196.64	102.57
9	दिल्ली	13310.70	12552.28	18277.00	14283.72	16181.26	0
10	गोवा	1083.56	1291.72	1470.85	1683.08	1394.69	181.33
11	गुजरात	83985.65	75792.18	91264.39	55230.40	112680.34	0

12	**हरियाणा**	17303.35	14698.80	19524.92	15024.32	22578.36	4943.01
13	**हिमाचल प्रदेश**	24798.74	38667.93	27023.89	24775.74	30108.79	0
14	**जम्मू और कश्मीर**	40573.74	70456.92	47901.11	41622.77	53088.35	4224.69
15	**झारखंड**	35297.77	18330.29	43091.04	59603.28	66430.42	15079.4
16	**कर्नाटक**	100370.19	98461.76	76586.95	88564.69	91296.49	0
17	**केरल**	38822.74	39797.90	44497.62	32543.44	30664.43	5227.76
18	**लद्दाख**	1469.55	1467.45	1878.52	1878.52	1962.01	437.75
19	**लक्षद्वीप**	210.52	272.64	44.18	44.18	288.11	51.7
20	**मध्य प्रदेश**	108546.91	105582.95	101157.08	103867.03	112311.11	36588.7
21	**महाराष्ट्र**	171338.93	160901.59	164616.98	158997.32	169951.77	36927.2
22	**मणिपुर**	22892.04	17728.41	13595.43	16773.59	20127.94	5966.87
23	**मेघालय**	17332.82	17786.35	19239.17	20024.05	26968.59	1752.48
24	**मिजोरम**	5931.57	6157.21	4280.74	5302.24	10026.87	0
25	**नागालैंड**	15980.27	16020.96	19929.81	19046.91	26290.93	2704.91
26	**ओडिशा**	106598.46	87120.18	92392.36	88496.28	96879.90	22451
27	**पुद्दुचेरी**	277.80	612.87	11.55	667.88	447.72	0
28	**पंजाब**	38351.68	17793.83	7530.84	24724.93	30787.13	4141.85
29	**राजस्थान**	68264.63	77164.16	97401.80	93617.04	109196.47	21803.7
30	**सिक्किम**	2573.06	2459.08	2032.69	2408.62	3348.65	0
31	**तमिलनाडु**	65538.13	68127.94	76680.73	74129.75	88078.90	0
32	**तेलंगाना**	48232.68	47929.87	55068.81	50333.11	50786.94	0
33	**त्रिपुरा**	18672.47	17165.52	15051.87	18654.88	24422.41	185.5
34	**उत्तर प्रदेश**	240755.08	234191.44	272187.35	262263.56	266868.77	65550.2
35	**उत्तराखंड**	35365.25	33602.58	42584.47	36477.05	28823.88	424.15
36	**पश्चिम बंगाल**	66835.22	137830.50	122758.88	145588.75	123756.19	42342.8
कुल		**1836799.55**	**1878926.67**	**1984981.13**	**1935285.03**	**2174118.74**	**317979.50**

* उपयोग देय नहीं

** दिनांक 31.07.2024 तक जारी की गई निधि।